

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-100/2021

(जीसीएमएस नं0 2021/107)

उनवान -सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार (मै0 कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -08.07.2021

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र पीतमसिंह त्यागी एवं पार्टनर श्रीनिवास, पार्टनर शिवदयाल त्यागी, पार्टनर पीतमसिंह जी-78,रीको इण्डोएरिया ओडेला रोड धौलपुर (मै0 कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.10.2020 को अप्रार्थी की संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 600 किलो ग्राम सोहन पपडी आम जनता को विक्रय करने हेतु रखी हुई थी इस सोहन पपडी में मिलावट का शक होने पर उक्त सोहन पपडी में से दो किलो ग्राम सोहन पपडी वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदी गई। उक्त सोहन पपडी का नमूना डी-1688 वास्तु जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जॉच रिपोर्ट दिनांक 01.11.2020 के अनुसार उक्त सोहन पपडी का नमूना एफएसएसए 2006 के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक (सबस्टैंडर्ड) प्रकृति का होना पाया गया। अप्रार्थीगण पश्चातवर्ती अपराध कारक होने के कारण धारा 51 एवं 64 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आराप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड सोहन पपडी का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड सोहन पपडी मिठाई बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र पीतमसिंह त्यागी एवं पार्टनर श्रीनिवास, पार्टनर शिवदयाल त्यागी, पार्टनर पीतमसिंह जी-78,रीको इण्डोएरिया ओडेला रोड धौलपुर (मै0 कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं चूंकि अप्रार्थीगण पश्चातवर्ती अपराध कारक होने के कारण धारा 64 के तहत 50,000/-रुपये (पचास हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेंद्र के.एम.)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)